2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**रिट याचिका (सेवा संबंधी) क्रमांक 2884 / 2009**

याचिकाकर्ता : झुनिया बाई

**बनाम**

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

**तथा**

डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 4170, 4172, 4998 एवं 5000 / 2009

आदेश उद्घोषणा हेतु दिनांक 1st फरवरी, 2010 को सूचीबद्ध किया जाए।

**सही / -**

**(सतीश के. अग्निहोत्री)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**रिट याचिका (सेवा संबंधी) क्रमांक 2884 / 2009**

अपीलकर्ता/ वादी : झुनिया बाई

**बनाम**

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

**तथा**

डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 4170, 4172, 4998 एवं 5000 / 2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

---

**उपस्थित :** श्री अनुप मजूमदार, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

---

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**//आदेश//**

**(यह आदेश 1 फरवरी, 2010 को घोषित किया गया)**

**1.** चूँकि रिट याचिका (सेवा संबंधी) क्रमांक 2884, 4170, 4172, 4998 एवं 5000 / 2009 में यह समान विधिक प्रश्न सम्मिलित है कि क्या याचिकाकर्ता अपने-अपने सेवा निवृत्ति की तिथि से म.प्र./छ.ग. निर्धारित- कर्म कर्मचारी एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी पेंशन नियम, 1979 (संक्षेप में "पेंशन नियम, 1979") के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन के अधिकारी हैं या नहीं — अतः इन याचिकाओं के तथ्य समान होने के कारण इन पर एक समान आदेश द्वारा विचार कर निर्णय किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2.** संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उत्तरवादी विभाग में वर्ष 1980, 1976, 1975, 1977 एवं 1978 में क्रमशः गैंगमैन एवं मेट के रूप में दैनिक वेतनभोगी आधार पर की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 19-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008 एवं 22-8-2008 के आदेशों द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का सविलियान किया गया। अधिवार्शिक आयु अर्थात् 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत याचिकाकर्ताओं को सेवा निवृत्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवाओं से क्रमशः 28-2-2009, 31-12-2008, 28-2-2009, 30-4-2009 तथा 30-11-2008 को सेवानिवृत्त किया गया। तत्पश्चात, यह कहते हुए उनके पक्ष में

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

पेंशन आदेश जारी नहीं किए गए कि उन्होंने निर्धारित- कर्म कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा नहीं दी है। अतः, ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

**3.** श्री मजूमदार, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवाओं से केवल तभी सेवानिवृत्ति ली जब वे कार्य-प्रभार स्थापना के अंतर्गत स्थायी रूप से सविलियान किए गए थे। उत्तरवादी अधिकारियों की यह आक्षपित कार्रवाई पेंशन नियम, 1979 के विपरीत है और सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में स्थापित विधि के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी विभाग में 25 वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। याचिकाकर्ता प्रतिवादी विभाग में निर्धारित- कर्म कर्मचारी के रूप में बिना किसी अवरोध के तब तक कार्यरत रहे जब तक कि उन्हें नियमित सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**4.** दूसरी ओर, श्री भाटिया, राज्य की ओर से उपस्थित उप शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उत्तरवादी विभाग में दैनिक वेतन के आधार पर की गई थी, और उन्हें निर्धारित- कर्म कर्मचारी आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में बनाए गए नियमों के अंतर्गत कर्मचारी नहीं माना गया। इसलिए, याचिकाकर्ता पेंशन के अधिकारी नहीं हैं।

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ वर्ष 2008 में नियमित की गई थीं और उनके सेवानिवृत्ति की तिथि पर उन्होंने पेंशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक 10 वर्षों की सेवा अवधि पूरी नहीं की थी, जैसा कि पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों में निर्धारित है।

**5.** मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, याचिकाओं तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6.** यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निर्धारित- कर्म कर्मचारी स्थापना में क्रमशः वर्ष 1980, 1976, 1975, 1977 तथा 1978 में की गई थी। तत्पश्चात, दिनांक 19-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008 तथा 22-8-2008 के आदेशों द्वारा, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित पदों पर सविलियन किया गया।

**7.** यही समान विषय इस न्यायालय के समक्ष एम.ए.हाकिम बनाम राज्य मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) एवं अन्य {W.P. No. 4135/2004} प्रकरण में विचाराधीन रहा। इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

या अस्थायी, नियमित पेंशन योग्य पद पर कार्य करता रहा हो, तो वह पेंशन का अधिकारी होगा — स्थायी कर्मचारी के मामले में 1-1-1959 से तथा अस्थायी कर्मचारी के मामले में 1-1-1974 से प्रभावशील।

**8.** इस न्यायालय द्वारा एम.ए.हाकिम (पूर्विक) प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28-8-2006 के विरुद्ध राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP (C) No.19728/2006) प्रस्तुत की गई, जिसे 8-12-2006 को ख़ारिज कर दिया गया। न्यायालय के समय में यह भी सूचित किया गया कि उक्त खारिज आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**9.** गोविंद एवं अन्य बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं एक प्रकरण में, जिसमें निर्धारित-कर्म कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित प्रश्न विचाराधीन था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

> **"8**. नियम 2(ख) एवं (ज), नियम 1976 के तथा नियम 2(क) एवं (ख), नियम 1979 के अंतर्गत परिभाषित करते हैं कि आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी' तथा 'कार्य-प्रभार कर्मचारी' को इसी प्रकार निम्नानुसार परिभाषित किया गया है

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**<u>नियम 2(ख) और 2(ज), नियम 1976 के अंतर्गत:</u>**

**<u>"2(ख) 'आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी'</u>** का अर्थ है— ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त हो और जिसे मासिक आधार पर वेतन दिया जाता हो, जिसका वेतन 'कार्यालय आकस्मिकता मद' (Office Contingencies) से देय हो, परंतु ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जो केवल वर्ष के कुछ निश्चित अवधियों के लिए नियोजित किए जाते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>"2(ज) 'निर्धारित-कर्म कर्मचारी'</u>** का अर्थ है— ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन (actual execution) पर नियुक्त हो, न कि किसी कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण या विभागीय श्रम, भंडार, संचालन तथा विद्युत उपकरणों एवं मशीनों की मरम्मत के अधीन पर्यवेक्षण के लिए, जो उस कार्य से संबंधित हों, और जिसमें दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों तथा मस्टर रोल में दर्ज श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया गया है।"

**<u>नियम 2(क) और 2(ख), नियम 1979 के अंतर्गत:</u>**

---

[1] 2007(7) CGLJ 29

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**"2. परिभाषाएँ (Definitions):** इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो,—

**(क) 'आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी' का अर्थ है—** ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त हो और जिसे मासिक वेतन दिया जाता हो, जिसका वेतन 'कार्यालय आकस्मिकता मद' से देय हो, ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जो केवल वर्ष के किसी निश्चित काल के लिए नियोजित किए जाते हैं;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(ख) 'निर्धारित-कर्म कर्मचारी' का अर्थ है—** ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन पर नियुक्त हो, न कि सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य हेतु। नियम 2(ख) के अनुसार 'निर्धारित-कर्म कर्मचारी' का अर्थ है — ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन में नियोजित हो, और जो किसी विशिष्ट कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण या विभागीय श्रम, भंडार, संचालन तथा विद्युत उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत के अधीन पर्यवेक्षण में कार्य करता हो, परंतु इसमें दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और मस्टर रोल कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो उस कार्य पर नियोजित हैं।

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**9.** पेंशन नियम, 1979 के नियम 2(ग) में 'स्थायी कर्मचारी' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

> **"2(ग). 'स्थायी कर्मचारी' का अर्थ है** — ऐसा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी या निर्धारित-कर्म कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 1974 या उसके बाद पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो।"
>
> {परंतु यह उपबंधित किया गया है कि यदि कोई आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी या निर्धारित-कर्म कर्मचारी, 1 अप्रैल 1981 या उसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, तो स्थायी कर्मचारी का अर्थ ऐसा कर्मचारी होगा जिसने 1 जनवरी 1974 या उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**12.** याचिकाकर्ता, जो गैंगमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, निर्धारित-कर्म कर्मचारी हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को लोक निर्माण विभाग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियोजित किया गया था। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और मस्टर रोल में दर्ज कर्मचारी, नियम 1976 के नियम

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**2(ज)** में निर्दिष्ट निर्धारित-कर्म कर्मचारियों की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। स्थायी कर्मचारी वे हैं जो आकस्मिक वेतनभोगी या निर्धारित-कर्म कर्मचारी हैं और जिन्होंने 1.1.1974 या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की हो। आकस्मिक श्रमिक गैंग और स्थायी गैंग का उल्लेख लोक निर्माण विभाग मैनुअल में किया गया है (संक्षेप में "पी.डब्ल्यू.डी. निर्देशिका")। उक्त पी.डब्ल्यू.डी. निर्देशिका के खण्डिका 4.003 में दैनिक आकस्मिक श्रमिक गैंगों और नियमित श्रमिक गैंगों के पंजीकरण तथा भुगतान का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "4.003. **(क)** आकस्मिक श्रमिक गैंग: जब कार्य दैनिक आकस्मिक श्रमिक गैंगों द्वारा किया जाना हो, तो अधीनस्थ प्रभारी एक मस्टर रोल तैयार करेगा, जिसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम, उनकी उपस्थिति, किए गए कार्य का विवरण और इस संबंध में देय राशि अंकित होगी। आवश्यक होने पर मासिक मस्टर रोल सात दिन बाद या सुविधा अनुसार बंद किया जा सकता है।
>
> **(बी) स्थायी गैंग:**

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**(ए)** स्थायी गैंगों की उपस्थिति को उपस्थिति पुंजिकी में अंकित किया जाएगा। उपस्थिति का अभिलेख टाइम कीपर द्वारा प्रतिदिन प्रातः दर्ज किया जाएगा। मुख्यालय में, उपस्थिति की जाँच उप अभियंता द्वारा की जाएगी, और मुख्यालय से बाहर कम से कम सप्ताह में दो बार की जाएगी। प्रत्येक अनुपस्थित व्यक्ति के सामने एक 'क्रॉस मार्क (×)' लगाया जाएगा ताकि कोई रिक्त स्थान न छूटे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(बी)** अक्वेंटेंस रोल कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें श्रमिक द्वारा वास्तव में किए गए कार्य दिवसों के साथ अधिकृत अवकाशों और छुट्टियों को भी जोड़ा जाएगा।

**(सी)** कार्य प्रगति का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें **निम्नलिखित जानकारी पाँच स्तंभों में दर्ज की जाएगी:**

**(i)** किए जाने वाले कार्य के लिए निर्देश।

**(ii)** निर्देशों का अनुपालन।

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**(iii)** मापनीय कार्य की मात्रा / मापनीय कार्य का विवरण।

**(iv)** प्रयुक्त सामग्री का विवरण।

**(v)** देय मजदूरी।

**(डी)** उप अभियंता मुख्यालय में प्रति सप्ताह दो बार तथा बाहरी कार्यस्थलों के मामलों में कम से कम सप्ताह में एक बार कार्य प्रगति रजिस्टर की समीक्षा करेगा। उप अभियंता / अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य में पर्याप्त प्रगति हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(ई)** नियमित गैंगों में किसी भी प्रकार की भर्ती केवल एस.ई. की अनुमति से ही की जाएगी। जिन श्रमिकों की आयु 58 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें नियमित गैंगों में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही उनकी सेवाएँ जारी रखी जाएँगी।

**13.** आकस्मिक श्रमिक गैंग मस्टर रोल कर्मचारी होते हैं, जिनका भुगतान साप्ताहिक या मासिक आधार पर किया जाता है। जबकि स्थायी गैंगों की उपस्थिति टाइम कीपर द्वारा प्रतिदिन प्रातः उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जाती है। पी.डब्ल्यू.डी. निर्देशिका के खंडिगा 4.003 को नियम 2(एच) 1976 के नियमों के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रकरणों में याचिकाकर्ता निर्धारित कर्मचारी हैं और नियम 2(ग) वर्ष 1979 के नियमों के अनुसार, यदि

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

कोई निर्धारित कर्मचारी ने 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, तो वह स्थायी कर्मचारी बन जाएगा। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं ने 15 वर्ष से अधिक कार्य किया है — इस तथ्य को प्रतिवादियों द्वारा विवादित नहीं किया गया है — और इस प्रकार वे राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी बन गए हैं। नियम 6, वर्ष 1976 के नियमों के अंतर्गत, कर्मचारियों के वर्गीकरण का भी प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार, जो कर्मचारी 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक सेवा में रह चुके हैं, वे स्थायी कर्मचारी के दर्जे के पात्र होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. गोविंद (पूर्विक) में सभी प्रावधानों की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जो पेड कर्मचारी 1 जनवरी 1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक सेवा में रहे हैं, वे स्थायी पेड कर्मचारी के दर्जे के लिए पात्र होंगे।

11. याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज़, नियम या परिपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके तहत पेंशन नियम, 1979 के विपरीत कोई रुख अपनाया गया हो। राज्य का यह मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा में सविलियन से पूर्व किसी प्रकार का अवरोध हुआ था। सेवा में सविलियन आदेश दिनांक 19-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008, 22-8-2008 और 22-8-2008

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

के माध्यम से किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

**12.** राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि एम.ए.हाकिम (पूर्विक) प्रकरण में, वहाँ के याचिकाकर्ता वर्क पेड कर्मचारी के रूप में उसने 10 वर्ष से अधिक की सेवा की, और उसकी नियुक्ति वर्ष 1956 की थी, अतः इस प्रकार उसने 1-1-1974 तक 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13.** पेंशन नियम, 1979 का नियम 6 इस प्रकार पढ़ा जाता है –

> **"6.** सेवा की अर्हता (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अध्याय III तथा मध्यप्रदेश नये पेंशन नियम, 1951 की धारा IV के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई स्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, तो उसकी अर्ह सेवा की गणना 1 जनवरी 1959 से की जाएगी।
>
> **(2)** जब किसी स्थायी कर्मचारी को बिना किसी अवरोध के किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर सविलियन किया जाता है, तो 1 जनवरी 1959 से की गई सेवा को पेंशन हेतु गिना जाएगा, जैसे वह सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**(3)** जब किसी अस्थायी कर्मचारी को बिना अवरोध के किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर 1 जनवरी 1974 से सविलियन किया जाता है, तो यदि उसकी सेवा छह वर्ष से कम है, तो भी उस सेवा को पेंशन के लिए इस प्रकार गिना जाएगा, मानो वह सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।"

**14.** पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि किसी स्थायी कर्मचारी को बिना किसी अवरोध के किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर 1-1-1959 से सविलियन किया गया है, तो पेंशन की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी। जहाँ तक किसी अस्थायी कर्मचारी का प्रश्न है, जिसे 1-1-1974 से किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर कार्यरत किया गया है, यदि उसकी सेवा छह वर्ष से कम है, तो भी उस सेवा को पेंशन के लिए इस प्रकार गिना जाएगा, मानो वह सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**15.** यह स्पष्ट है कि वे कर्मचारी, जिन्हें केवल वर्ष 1959 या 1974 में नियुक्त किया गया था, उन्हें पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, परंतु ऐसे अन्य कर्मचारी, जिन्होंने किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर कार्य किया है और बाद में सविलियन हुआ, वे भी इस लाभ के

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

अधिकारी होंगे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता लगभग 25 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात सविलियन किया गया था ।

**16.** याचिकाकर्ता तत्पश्चात 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो सेवानिवृत्ति की आयु है, अपनी-अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह सुविधा केवल स्थायी निरधरित अथवा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ही उपलब्ध है।

**17.** प्रत्येक दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उतरवादीगण का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति कार्यभारित संस्था में होने के बाद, जैसा कि सविलियन आदेश से स्पष्ट है, उन्होंने नियमित पद पर सविलियन होने तक निरंतर कार्य किया। दोनों पक्षों द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमित पद के विरुद्ध आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में की गई थी या नहीं। अतः इस बिंदु पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**18.** उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, उतरवादी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों की जांच करें कि क्या उन्हें किसी नियमित पद के विरुद्ध आकस्मिक वेतनभोगी निरधरित कर्मचारी के रूप में

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

नियुक्त किया गया था। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता पेंशन नियम, 1979 के नियम 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार, अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

**19.** परिणामस्वरूप, उपर्युक्त रूप से निर्दिष्ट सीमा तक रिट याचिकाएँ स्वीकृत की जाती हैं। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवाओं से क्रमशः 28-2-2009, 31-12-2008, 28-2-2009, 30-4-2009 तथा 30-11-2008 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, अतः उपर्युक्त दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आज से तीन माह की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**20.** वाद व्यय (costs) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

**(सही/-)**

**सतीश के. अग्निहोत्री,**

**न्यायाधीश**

2010:CGHC:6427

प्रकाशन हेतु अनुप्रमाणित

**अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Vivek Mishra.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur